आनुपातकि प्रतनिधित्वि

प्रलिमि्स के लयि:

[जनप्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951](), [भारत नरि्वाचन आयोग](), सामान्य वत्तिीय नयिम, [राष्ट्रीय और राज्य दल](), फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) नरि्वाचन प्रणाली, आनुपातकि प्रतनिधित्वि (PR) नरि्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत (STV) द्वारा आनुपातकि प्रतनिधित्वि (PR)।

मेन्स के लयि:

FPTP से आनुपातकि प्रतनिधित्वि नरि्वाचन प्रणाली में बदलाव, आनुपातकि प्रतनिधित्वि के परणिाम और लाभ।

[स्रोत: द हदिू]()

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में नागरकिों और राजनीतकि दलों के एक व्यापक वर्ग के बीच इस बात पर आम सहमत बिन रही है कि वर्तमान [फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (First-Past-The-Post- FPTP)]() चुनाव प्रणाली को एक व्यवहार्य वकिल्प के रूप में **आनुपातकि प्रतनिधित्वि (Proportional Representation- PR) चुनाव प्रणाली** से प्रतस्थिापति कयिा जाना चाहयिे।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (First-Past-The-Post- FPTP) चुनाव प्रणाली क्या है?

- **परचिय:**
  - यह एक चुनावी प्रणाली है जसिमें मतदाता एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और सबसे अधकि मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है।
    - इसे **साधारण बहुमत प्रणाली या बहुलता प्रणाली** के नाम से भी जाना जाता है।
  - यह सबसे **सरल और सबसे पुरानी चुनावी प्रणालयिों** में से एक है, जसिका उपयोग **यूनाइटेड कगिडम, अमेरकिा, कनाडा** तथा **भारत** जैसे देशों में कयिा जाता है।
- **वशिषताएँ:**
  - मतदाताओं को वभिन्नि राजनीतकि दलों द्वारा **नामांकति** या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे **उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत** की जाती है।
  - मतदाता अपने मतपत्र या [इलेक्ट्रॉनकि वोटगि मशीन]() पर नशिान लगाकर **एक उम्मीदवार** का चयन करते हैं।
  - कसिी **नरि्वाचन क्षेत्र में सबसे अधकि मत** पाने वाले उम्मीदवार को वजिेता घोषति कयिा जाता है।
  - **वजिेता को बहुमत (50% से अधकि) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है,** बल्कि केवल बहुलता (सबसे अधकि संख्या) मत प्राप्त करने की आवश्यकता है।
  - इस प्रणाली के कारण [संसद]() जैसे वधिानसभा के सदस्यों के चयन में अक्सर **असंगत परणिाम** सामने आते हैं, क्योंकि राजनीतकि दलों को उनके समग्र मत के अनुपात के अनुरूप प्रतनिधित्वि नहीं मलि पाता है।
- **लाभ:**
  - **सरलता:** यह एक सरल प्रणाली है जसि मतदाता **आसानी से समझ सकते हैं और अधकिारी इसे सरलतापूर्वक लागू भी कर सकते हैं।** यह इसे अधकि **लागत-प्रभावी और कुशल** बनाता है।
  - **स्पष्ट एवं नरि्णायक वजिेता:** यह एक **नश्चिति वजिेता के साथ परणिाम** प्रदान करता है, जो चुनावी प्रणाली में **स्थरिता और वश्विसनीयता में योगदान** दे सकता है।
  - **जवाबदेही:** चुनावों में उम्मीदवार सीधे तौर पर अपने मतदाताओं का **प्रतनिधित्वि** करते हैं, जसिसे **आनुपातकि प्रतनिधित्वि प्रणाली की तुलना में बेहतर जवाबदेही सुनशि्चति होती है, जहाँ उम्मीदवार उतने प्रसद्धि नहीं होते।**
  - **उम्मीदवार चयन:** यह **मतदाताओं को पार्टयिों और वशिष्टि उम्मीदवारों के बीच चयन** करने की अनुमत देता है, जबकि **PR प्रणाली में मतदाताओं को एक पार्टी का चयन** करना होता है तथा प्रतनिधियिों का चुनाव पार्टी सूची के आधार पर कयिा जाता है।
  - **गठबंधन नरि्माण:** यह वभिन्नि **सामाजकि समूहों को** स्थानीय स्तर पर **एकजुट** होने के लयि प्रोत्साहति करता है, व्यापक एकता को बढ़ावा देता है और कई समुदाय-आधारति दलों में वखिंडन को रोकता है।

आनुपातकि प्रतनिधित्वि (Proportional Representation- PR) प्रणाली क्या है?

- **परचिय:**
    - यह एक चुनावी प्रणाली है जसिमें राजनीतकि दलों को **चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में वधायिका में प्रतनिधित्वि (सीटों की संख्या)** मलिता है।
- **वशिषताएँ:**
    - यह मत के हसि्से के आधार पर **राजनीतकि दलों का नषि्पक्ष** प्रतनिधित्वि करता है।
    - यह सुनश्चिति करता है कि संसद या अन्य नरि्वाचति नकिायों में **सीटें आवंटति करने के लयि प्रत्येक मत महत्त्वपूर्ण** हो।
- **प्रकार:**
    - **एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote- STV):**
        - यह **मतदाता को अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान देने** की अनुमति देता है, अर्थात् बैकअप संदर्भ प्रदान करके और **मतदान करके।**
        - **एकल संक्रमणीय मत (STV)** द्वारा **आनुपातकि प्रतनिधित्वि (PR)** मतदाताओं को **पार्टी के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार** को चुनने और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मत देने में सक्षम बनाता है।
            - **भारत** के [राष्ट्रपति](#) का **चुनाव STV के साथ PR प्रणाली** के माध्यम से कयिा जाता है, जहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के लयि गुप्त मतदान प्रणाली का उपयोग कयिा जाता है।
            - नरि्वाचक मंडल, जसिमें राज्यों की वधिानसभाएँ, राज्य परषिद तथा [राज्यसभा](#) और [लोकसभा](#) के सदस्य शामलि होते हैं, STV का उपयोग करते हुए PR प्रणाली के माध्यम से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है।
    - **पार्टी-सूची PR:**
        - यहाँ **मतदाता पार्टी को मत देते हैं (व्यक्तगित उम्मीदवार को नहीं) और फरि पार्टयिों** को उनके मत शेयर के अनुपात में सीटें मलिती हैं।
        - आमतौर पर कसिी पार्टी के लयि **सीट पाने की न्यूनतम सीमा 3-5% मत** शेयर होती है।
    - **मशि्रति सदस्य आनुपातकि प्रतनिधित्वि (MMP):**
        - यह एक ऐसी प्रणाली है **जसिका उद्देश्य कसिी देश की राजनीतकि प्रणाली में स्थरिता और आनुपातकि प्रतनिधित्वि** के बीच संतुलन प्राप्त करना है।
        - इस प्रणाली के तहत प्रत्येक **प्रादेशकि नरि्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली के माध्यम से एक उम्मीदवार** चुना जाता है। इन प्रतनिधियिों के अलावा देश भर में **वभिनि्न पार्टयिों को उनके मत प्रतशित के आधार पर अतरिक्ति** सीटें भी आवंटति की जाती हैं।
        - इससे **सरकार में अधकि वविधि प्रतनिधित्वि संभव हो सकेगा,** साथ ही वशिषि्ट भौगोलकि क्षेत्रों से व्यक्तगित प्रतनिधियिों की स्थरिता भी बनी रहेगी।
        - **न्यूज़ीलैंड, दक्षणि कोरयिा और जर्मनी** ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहाँ MMP क्रयिाशील है।
- **लाभ:**
    - **यह सुनश्चिति करना कि प्रत्येक मत महत्त्वपूर्ण हो:**
        - PR में हर मत **संसद में सीटों के आवंटन के लयि गनिा जाता** है। इसका मतलब है कि मतदाताओं में लोकतांत्रकि प्रक्रयिा में भागीदारी की भावना अधकि होती है।
    - **वविधि एवं प्रतनिधि सिरकार:**
        - PR प्रणाली के अंतर्गत **छोटे दलों और अल्पसंख्यक समूहों को प्रतनिधित्वि मलिने की** अधकि संभावना होती है, जसिसे संसद में दृष्टकिोण तथा वचिारों की वविधिता बढ़ सकती है।
    - **गेरीमैंडरगि को कम करना:**
        - PR प्रणालयिाँ **गेरीमैंडरगि के प्रति कम संवेदनशील** होती हैं, क्योंकि सीटों का वतिरण ज़लिा सीमाओं में हेर-फेर करके नहीं, बल्कि पार्टी को **प्राप्त मतों के अनुपात के आधार** पर नरि्धारति कयिा जाता है।
        - परणिामस्वरूप, **पार्टयिाँ अपने लाभ के लयि चुनावी मानचत्रि में अनुचति तरीके से हेरफेर नहीं कर सकतीं,** जैसा कि कभी-कभी मनमाने नरि्वाचन क्षेत्र सीमाओं वाली प्रणालयिों में देखा जाता है।
- **नुकसान:**
    - **अस्थरि सरकारें:** PR के कारण अस्थरि सरकारें बन सकती हैं, क्योंकि इसमें छोटे दलों और अल्पसंख्यक **समूहों का प्रतनिधित्वि अधकि होने की संभावना** होती है, जसिसे स्थरि गठबंधन बनाना तथा प्रभावी ढंग से शासन करना कठनि हो सकता है।
    - **अधकि जटलि:** PR प्रणालयिाँ **FPTP प्रणालयिों की तुलना में अधकि जटलि** हो सकती हैं, जसिसे मतदाताओं हेतु उन्हें **समझना और सरकारों के लयि उन्हें लागू करना** अधकि कठनि हो जाता है।
    - **लागत: PR प्रणाली का संचालन महँगा होता** है, क्योंकि चुनाव कराने के लयि बड़ी मात्रा में संसाधनों और धन की आवश्यकता होती है।
    - **स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा: जनसंपर्क के कारण नेता स्थानीय आवश्यकताओं** की अपेक्षा पार्टी के एजेंडे को प्राथमकिता देते हैं, क्योंकि एक नरि्वाचन क्षेत्र में कई प्रतनिधि होते हैं।
        - जवाबदेही के इस प्रसार के **परणिामस्वरूप स्वार्थी राजनीतकि व्यवहार** और वशिषि्ट नरि्वाचन क्षेत्र की चतिाओं की उपेक्षा हो सकती है।

FPTP प्रणाली से PR प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता क्यों है?

- **अधकि अथवा कम प्रतनिधित्वि: FPTP प्रणाली के कारण राजनीतकि दलों का प्रतनिधित्वि (उनके द्वारा जीती गई सीटों के संदर्भ में) उनके प्राप्त वोट-शेयर की तुलना में अधकि या कम हो सकता है।**

- **उदाहरण:** स्वतंत्रता के बाद पहले तीन चुनावों में **कॉन्ग्रेस पार्टी ने मात्र 45-47% वोट शेयर** के साथ तत्कालीन लोकसभा में **लगभग 75% सीटें जीती** थीं।
- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को **केवल 37.36% वोट** मिले और उसने **लोकसभा में 55% सीटें जीतीं**।

Table 2: If the PR system is applied for the 2024 election

Political formation	% of votes	Actual number of seats	Seats as per PR
National Democratic Alliance (NDA)	43.3%	293*	243
INDIA bloc	41.6%	234	225
Others/independents	15.1%	16	75
Total	**100%**	**543**	**543**

//

- **अल्पसंख्यक समूहों के लिये प्रतिनिधित्व का अभाव: 2-दलीय FPTP प्रणाली में, कम वोट प्रतिशत वाली पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत सकती है, परिणामस्वरूप जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सरकार में प्रतिनिधित्वहीन हो सकता है।**
  - यूके तथा कनाडा जैसे देश भी FPTP का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके संसद सदस्यों (MP) की अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति अधिक जवाबदेही होती है।
- **रणनीतिक मतदान:** कई बार **मतदाता उस उम्मीदवार को वोट देने के लिये दबाव महसूस कर सकते हैं** जिसका वे वास्तव में समर्थन नहीं करते हैं ताकि वे उस उम्मीदवार को चुनाव जीतने से रोक सकें जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है **जहाँ मतदाताओं को लगता है कि वे वास्तव में अपनी पसंद व्यक्त नहीं कर रहे हैं।**
- **छोटे दलों के लिये नुकसान: छोटे दलों को FPTP प्रणाली में जीतने के लिये संघर्ष करना पड़ता है और अक्सर उन्हें राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, जिससे स्थानीय स्वशासन एवं संघवाद की अवधारणा प्रभावित होती है।**

अन्य वैकल्पिक चुनाव प्रणालियाँ:

- **रैंक्ड वोटिंग सिस्टम:** ये ऐसी प्रणालियाँ हैं **जो मतदाताओं को किसी एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय वरीयता के क्रम में** उम्मीदवारों को रैंक करने की अनुमति देती हैं।
- **स्कोर वोटिंग सिस्टम:** ये ऐसी प्रणालियाँ हैं जो **मतदाताओं को** किसी एक उम्मीदवार को चुनने या उन्हें रैंकिंग देने के बजाय **संख्यात्मक पैमाने पर उम्मीदवारों को स्कोर करने की अनुमति** देती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ:

- **राष्ट्रपति लोकतंत्र** (जैसे- **ब्राज़ील और अर्जेंटीना**) तथा **संसदीय लोकतंत्र** (जैसे- **दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी और न्यूज़ीलैंड**) में भिन्न-भिन्न **आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणालियाँ होती हैं।**
  - जर्मनी में **मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMPR)** प्रणाली का उपयोग किया जाता है (बुंडेसटाग की 598 सीटों में से 50% सीटें **FPTP प्रणाली** के तहत निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा भरी जाती हैं और शेष 50% सीटें कम-से-कम 5% वोट प्राप्त करने वाले दलों के बीच आवंटित की जाती हैं)।
  - **न्यूज़ीलैंड में प्रतिनिधि सभा की कुल 120 सीटों में से 60% सीटें** प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से **FPTP प्रणाली** के माध्यम से भरी जाती हैं, जबकि **शेष 40% सीटें न्यूनतम 5% वोट प्राप्त करने वाले दलों को आवंटित** की जाती हैं।

आगे की राह

- **विधि आयोग की सिफारिश:**
  - विधि आयोग ने प्रयोगात्मक आधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट (1999) में **मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMPR)** प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी।

        - रपिोर्ट में सुझाव दयिा गया है कि लोकसभा की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम **25% सीटें PR प्रणाली के माध्यम से भरी जा सकती हैं।**
        - इसने **वोट शेयर के आधार पर PR के लयि देशभर को एक इकाई के रूप में मानने की सफिारशि की** या वैकल्पकि रूप से भारत की संघीय राजनीति को देखते हुए, इसे राज्य/केंद्रशासति प्रदेश स्तर पर वचिार करने की सफिारशि की।
- **आगामी परसीमन प्रक्रयिा:**
    - आगामी [परसीमन प्रक्रयिा](), जसिमें जनसंख्या परविर्तन के आधार पर नरि्वाचन क्षेत्रों का पुनर्नरि्धारण कयिा जाएगा, धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के लयि हानकिारक हो सकती है। यह **संघवाद के मूल सद्धिांतों का उल्लंघन कर सकता है** और प्रतनिधित्वि खोने वाले राज्यों में नाराज़गी उत्पन्न कर सकता है।
    - इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि की परवाह कयि बनिा, हमें एक ऐसी प्रणाली वकिसति करने की आवश्यकता है जो सभी राज्यों के लयि समान प्रतनिधित्वि की गारंटी सुनश्चिति करे। इस प्रणाली में नम्नि शामलि हो सकते हैं:
        - प्रत्येक राज्य के प्रतनिधित्वि के वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखते हुए एक नष्पिक्ष संतुलन बनाने में सहायता मलि सकती है।
        - मश्रिति सदस्य आनुपातकि प्रतनिधित्वि (MMPR) जैसी वैकल्पकि प्रणालयिों की जाँच करना लाभदायक हो सकता है।
- **MMPR प्रणाली के लयि अनुशंसा:**
    - सत्ता का अधकि न्यायसंगत वतिरण सुनश्चिति करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में **अतरिक्ति सीटों** या कम-से-कम मौजूदा सीटों के एक चौथाई के लयि **MMPR प्रणाली लागू की जा सकती है। पूर्वोत्तर और छोटे उत्तरी राज्यों को संसद में अधकि सशक्त आवाज़ मलिेगी,** भले ही उनकी कुल सीटों में वृद्धि हुई हो।

नष्किर्ष:

चूँकि भारत एक **लोकतंत्र के रूप में वकिसति** हो रहा है, इसलयि आनुपातकि प्रतनिधित्वि और मश्रिति सदस्य आनुपातकि प्रतनिधित्वि जैसे **चुनावी सुधारों की खोज** से **संभावति रूप से अधकि संतुलति एवं नष्पिक्ष प्रणाली की ओर अग्रसर** हुआ जा सकता है।

भारत की अद्वतिीय संघीय और ववििध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इन परविर्तनों को सोच-समझकर लागू करने से लोकतांत्रकि प्रक्रयिा को बढ़ावा मलिेगा साथ ही यह सुनश्चिति हो सकेगा कि प्रत्येक नागरकि का वोट वास्तव में महत्त्व रखता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

भारत के ववििध राजनीतकि परदृिश्य के संदर्भ में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) चुनाव प्रणाली का मूल्यांकन कीजयि। मश्रिति सदस्य आनुपातकि प्रतनिधित्वि (MMPR) प्रणाली को अपनाने के संभावति लाभों और चुनौतयिों पर चर्चा कीजयि।

UPSC सवििल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???????????:

प्रश्न. नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. भारत का नरि्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरि्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतकि दलों के वभिाजन/वलिय से संबंधति ववािद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. आदर्श आचार संहति के उद्भव के आलोक में भारत के नरि्वाचन आयोग की भूमकिा का ववेचन कीजयि। (2022)

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लयि भारत के चुनाव आयोग ने वर्ष 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दयिा है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/proportional-representation